

शासकीय व निम-शासकीय सेवेत आरक्षित पदांवर मागासवर्गीयांची भरती करण्याबाबत सरळ सेवा भरतीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी खास प्रयत्न.

महाराष्ट्र शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
परिपत्रक क्रमांक बीसीसी-1089/प्र.क्र.229/89/16-ब,
मंत्रालय, मुंबई-400 032. दिनांक 11 ऑगस्ट, 1989.

वाचा :- रागक्रमांकाचे शासन परिपत्रक, दिनांक 12 जुलै, 1989.

परिपत्रक :- शासनाने शासकीय व निम-शासकीय सेवेत, तसेच महामंडळे, मंडळे, इत्यादी सेवेमधील मागासवर्गीयांच्या आरक्षित पदांच्या संदर्भात, दिनांक 30 जून 1989 रोजीचा सरळ सेवा भरतीचा अनुशेष विशेष प्रयत्न करून ठराविक मुदतीत भरून काढण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी सर्व नियुक्ती अधिका-यांना वरील परिपत्रकान्वये आदेश दिले आहेत. या अनुषंगाने अनुशेषाच्या पदांची संख्या कशी ठरवावी व त्याचप्रमाणे काही इतर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. या संदर्भात आता खालीलप्रमाणे खुलासा करण्यात येत आहे :-

(1) अनुशेष :- मागासवर्गीयांच्या विविध गटांसाठी सरळ सेवा भरतीने पदे भरताना 100 बिंदू नामावली शासनाने क्रमांक बीसीसी-1070/ईसीआर-जे, दिनांक 23 नोव्हेंबर, 1970 च्या आदेशान्वये विहित केली आहे. ही बिंदू नामावली वेळोवेळी पदे भरताना अखंडीतपणे वापरावयाची असते. सरळ सेवा भरतीची आरक्षित पदे न भरल्यास, ती बिगर आरक्षित (deserved) करून पुढील 5 भरती वर्षांपर्यंत अनुशेष म्हणून दाखवावी लागतात आणि तदनंतरच ती भरली नसल्यास, व्यपगत होतात. ज्यावर्षी एखाद्या संवर्गात सरळ सेवा प्रवेशाने पदे भरली जात नाहीत (किंवा एखाद्या वर्षी भरती करून सुध्दा मागासवर्गीयांसाठी चुकीने आरक्षण ठेवले जात नाही) तेव्हा ते 5 भरती वर्षांच्या कालावधीसाठी गोजण्यात येऊ नये. यावरून असे दिसून येईल की, शासन परिपत्रक, दिनांक 12 जुलै, 1989 मध्ये उल्लेखिलेल्या दिनांक 22 जून, 1989 रोजीचा अनुशेष हा त्या दिनांकापूर्वी झालेल्या शेवटच्या सरळ सेवा भरती नंतरचा पुढे नेण्यात आलेला अनुशेष (carried forward reserved vacancies) होय. पुढे असाही खुलासा करण्यात येत आहे की, आरक्षित पदांचा अनुशेष संवर्गातील एकूण पदांशी अथवा त्या संवर्गात यापूर्वी भरती झालेल्या मागासवर्गीय व्यक्तींच्या संख्येशी किंवा टक्केवारीशी निगडित नाही. तसेच पदे मंजूर/रिक्त असूनही शुन्याधारित अर्थसंकल्प किंवा इतर प्रशासकीय कारणांमुळे जर भरतीची प्रक्रिया झाली नसेल तर, त्याबाबत आरक्षण किंवा अनुशेष उपलब्ध होणार नाही, कारण या दोन्ही बाबी प्रत्यक्ष भरतीशी निगडित आहेत.

उपरोक्त शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक 12 जुलै, 1989 मध्ये असा स्पष्ट खुलासा करण्यात आला आहे की, उपरोक्त अनुशेषाची पदे (आणि तेवढ्यापुरतीच) भरून काढण्यासाठी वित्त विभागाच्या क्रमांक आरआय एस-1085/सीआर-27/अर्थसंकल्प-19, दिनांक 4 सप्टेंबर, 1986 मधील सरळ सेवा भरती बंधनाचे आदेश लागू राहणार नाहीत. अर्थात ही रावलत बिनराखीव (unreserved) पदे भरण्यासाठी उपलब्ध नाही आणि ती पदे भरावयाची असल्यास, शासनाची पूर्वगंजुरी घेणे आवश्यक राहिल. त्याचप्रमाणे सतत राहा गहिने रिक्त असलेली पदे भरण्याबाबत असलेले बंधनही उपरोक्त अनुशेष भरून काढण्यासाठी लागू होणार नाही.

प्रत्येक नियुक्ती अधिका-याने दिनांक 30 जून, 1989 रोजीच्या अनुशेषाची मोजणी करताना वरील खुलासा विचारात घेऊन कार्यवाही करावी. याबाबत सोबतच्या विवरणपत्रात उदाहरणासह खुलासा केला आहे तो पहावा.

(2) पदे भरण्याची जाहिरात देणे :- शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक 12 जुलै, 1989 उपपरि.(5)(ब) मध्ये सूचना दिल्या आहेत की, स्थानिक सेवायोजन कार्यालय, समाजकल्याण अधिकारी, इत्यादीकडून 15 दिवसांत जर कोणताही प्रतिसाद आला नाही तर, नियुक्ती अधिकारी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन अनुशेषाची पदे भरण्याची कार्यवाही करू शकतील. या संवंधात असा खुलासा करण्यात येतो की, अशा जाहिरातीन्वये राज्यातील इतर कोणत्याही सेवायोजन कार्यालयांमध्ये किंवा समाजकल्याण अधिकारी, आदिवासी प्रकल्प/विकास अधिकारी, आदिवासी

विकास महागंडळ आणि रांचालक, आदिवासी विकास, यांच्याकडे नोंदणी केलेल्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविता येतील. परंतु अशा अर्जात त्या उमेदवारांनी त्यांचा संबंधित नोंदणी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक राहिल हा नोंदणी क्रमांक उमेदवाराला प्रत्यक्ष नियुक्ती देण्यापूर्वी तपासून पाहण्यात यावा.

अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांसाठी देण्यात येणा-या जाहिराती या शक्यतो राज्य स्तरावरील वर्तमानपत्राने आणि ज्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या जास्त आहे, अशा जिल्ह्यातील वर्तमानपत्रात देण्यात याव्यात जेणेकरून आदिवासी उमेदवारांकडून पुरेशा प्रमाणात प्रतिसाद मिळू शकेल.

(3) प्रादेशिक निवड मंडळामार्फत भरावयाची पदे :- शासकीय व निम-शासकीय सेवेत आरक्षित पदांवर सरळ रूपा भरतीचा उपरोक्त अनुशेष विहित कालावधीत भरून काढण्यासाठी शासनाने शासन निर्णय, क्रमांक प्राणिम-2589/प्र.क्र.229/89/13-अ, दिनांक 5 ऑगस्ट, 1989 प्रमाणे स्पर्धा परीक्षा न घेता, केवळ मुलाखतीद्वारे निवड करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. याचीही नोंद घ्यावी..

गहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

दा. न. बेट,

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

राज्यपाल यांचे सचिव,
मुख्यमंत्री यांचे सचिव,
सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक,
राचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,
सर्व विभागीय आयुक्त,
सर्व जिल्हाधिकारी,
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय, गूळ न्याय शाखा, मुंबई,
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई,
* प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई,
* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,
सचिव, सर्व प्रादेशिक निवड मंडळे/सचिव, राज्य निवड मंडळ,
संचालक, समाजकल्याण, पुणे,
संचालक, सेवायोजन, मुंबई,
संचालक, आदिवासी विकास, नाशिक,
संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे,
सर्व जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प,
सर्व जिल्हा सेवायोजन अधिकारी,
सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी,
सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील इतर सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख.
* पत्राने.

विवरण (उदाहरण)

| संख्या | भरतीची पदे | 100 बिंदू नामावली (रेस्टर) प्रमाणे प्रत्येक प्रवर्गाच्या वाट्यास येणारी पदे - आरक्षण व अनुशेष धरून. | | | | | प्रत्येक भरती वर्षाखेर शिल्लक राहिलेल्या पुढे नेण्यात आलेल्या अनुशेषाच्या पदाचा तपशिल. | | | | |
|--------|------------|---|---------|---------------|----------------|--------------|--|---|----------------|--------------|---|
| | | खुला प्रवर्ग | इ.मा.वः | अनुसूचित जाती | अनुसूचित जमाती | वि जा / भ.ज. | वर्ष | अनुसूचित जाती | अनुसूचित जमाती | वि जा / भ.ज. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | | | | |
| 1981 | 100 | अ) मागील अनुशेष ब) प्रवर्गवार वाटप क) एकूण ड) भरलेली पदे इ) अनुशेष | -- | -- | *25 | *22 | *12 | 1980 | 5 | 10 | 4 |
| | | | 66 | 10 | 13 | 7 | 4 | 1981 | 13 | 7 | 4 |
| | | | 66 | 10 | 38 | 29 | 16 | | 18 | 17 | 8 |
| | | | 50 | 10 | 20 | 12 | 8 | * हा सर्वच्या सर्व अनुशेष 1980 भरती वर्षाचा आहे | | | |
| | | | -- | -- | 18 | 17 | 8 | † उपलब्ध पदाचा 50% | | | |
| 1982 | 50 | अ) ब) क) ड) इ) | 32 | 5 | 18 | 17 | 8 | 1980 | -- | 3 | 1 |
| | | | 32 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1981 | 8 | 7 | 4 |
| | | | 25 | 5 | 25 | 21 | 10 | 1982 | 7 | 4 | 2 |
| | | | -- | -- | 15 | 14 | 7 | † उपलब्ध पदाचा 50% | | | |
| 1983 | 30 | अ) ब) क) ड) इ) | -- | -- | 15 | 14 | 7 | 1980 | -- | 1 | 1 |
| | | | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1981 | -- | 7 | 4 |
| | | | 20 | 3 | 18 | 16 | 9 | 1982 | 7 | 4 | 2 |
| | | | 15+2 | 3 | 8 | 2 | -- | 1983 | 3 | 2 | 2 |
| | | | -- | -- | 10 | 14 | 9 | * बिगर आरक्षित केलेली 2 पदे | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|---|----|
| 1984 | 20 | अ) | -- | -- | 10 | 14 | 9 | 1980 | -- | -- | 1 | 1 |
| | | ब) | 10 | 2 | 3 | 5 | -- | 1981 | -- | -- | 7 | 4 |
| | | क) | 10 | 2 | 13 | 19 | 9 | 1982 | -- | -- | 4 | 2 |
| | | ड) | 10 | 2 | 8 | -- | -- | 1983 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | इ) | -- | -- | 5 | 19 | 9 | 1984 | 3 | 5 | 5 | -- |
| | | | | | | | | | 5 | 19 | 9 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|-------|----|---|----|----|------|----|------|------|-----|
| 1985 | 25 | अ) | -- | -- | 5 | 19 | 9 | 1980 | -- | -- | x 1 | x 1 |
| | | ब) | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1981 | -- | -- | 7 | 4 |
| | | क) | 15 | 3 | 9 | 21 | 10 | 1982 | -- | -- | 4 | 2 |
| | | ड) | 10+2* | 3 | 7 | -- | -- | 1983 | -- | -- | 2 | 2 |
| | | इ) | -- | -- | 2 | 21 | 10 | 1984 | -- | -- | 5 | -- |
| | | | | | | | | 1985 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | 2 | 21 | 10 | |
| | | | | | | | | | -- | x -1 | x -1 | |
| | | | | | | | | | 2 | 20 | 9 | |

* बिम्बर आरक्षित केलेली 2 पदे

1980 ची ही आरक्षित पदे व्यपन्न झाली
पुढे न्यावयाचा अनुरोध.

1956
भरतीची परवानगी नसल्यामुळे भरती नाही
त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न उद्भवत नाही.

